छत्तीसगढ़ विधान सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों हेतु 16 जुलाई, 2015 के दौरान प्रबोधन कार्यक्रम के अवसर पर माननीय लोकसभा अध्यक्ष का उद्घाटन भाषण।

1. छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा अपने निर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित इस प्रबोधन कार्यक्रम में आपके बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं सभी नए सदस्यों को विधान सभा के लिए चुने जाने पर बधाई देती हूं। इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने और नए सदस्यों से मिलने का अवसर देने तथा इस प्रबोधन कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए मैं माननीय अध्यक्ष **श्री गौरीशंकर अग्रवाल जी** की आभारी हूं।

2. छत्तीसगढ़ से मेरा और मध्यप्रदेश का विशेष स्नेह, सम्पर्क और सम्बन्ध रहा है। छत्तीसगढ़ का बहुत प्राचीन इतिहास है और रामायण एवं महाभारत में दंडकारण्य क्षेत्र के नाम से इसका उल्लेख मिलता है और दंडकारण्य अपने नैसर्गिक सौन्दर्य तथा आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता था। प्राचीन एवं मध्ययुगीन भारत में दक्षिण कौशल के रूप में यह सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों का केन्द्र था। आज के जमाने में भी छत्तीसगढ़ अपने नैसर्गिक सौन्दर्य, प्राकृतिक संसाधनों, खनिज संपदा, वन क्षेत्र, जैविक विविधता के लिए मशहूर है। इसकी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी मशहूर है। यहां की लोक कला, संगीत एवं नृत्य विशेषकर पंडवानी नृत्य, देश-विदेश में भी लोगों का मन आकर्षित करता है। यहां के लोग अपनी लगन, परिश्रमशीलता एवं उद्यमशीलता के लिए जाने जाते हैं। स्वतंत्र राज्य बनने के बाद एवं आपके ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह के नेतृत्व में यह प्रदेश आर्थिक क्षेत्र में भी विकास की दिशा में तीव्रता से गतिमान है। धान का कटोरा माने जाने वाले इस प्रदेश में देश का सर्वाधिक स्टील उत्पादित होता है और

यहां का लौह अयस्क दुनिया भर में अपनी सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी के लिए जाना जाता है। मेरी कामना है कि यह राज्य उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए यहां के निवासियों के लिए खुशी के नए आयाम स्थापित करे।

3. मैं विधान सभा के लिए निर्वाचित होने पर आप सबको बधाई देती हूँ। यह जनादेश लोगों के इस विश्वास की अभिव्यक्ति है कि आप उनके विकास और प्रगति के लिए उनकी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

4. हालांकि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन वर्ष 2000 में मध्यप्रदेश से अलग होने के बाद एक पृथक राज्य के रूप में हुआ है, किन्तु कई मायनों में यह एक नया राज्य ही है। आप सब राज्य के पुनर्गठन से उत्पन्न चुनौतियों और अवसरों से भली-भांति परिचित होंगे। तथापि, इन चुनौतियों में भी असीम संभावनाएं निहित हैं। मुझे विश्वास है कि यह राज्य उभरते वैश्विक माडलों, प्रौद्योगिकियों, प्रबंध तकनीकों का पूर्ण उपयोग करते हुए शीघ्र ही नया बुनियादी ढांचा और प्रणालियां विकसित करने में सफल होगा। लोगों की अपेक्षाओं को देखते हुए, सरकार, विधायिका और अन्य एजेंसियों सहित समूचे राज्य को संसाधन जुटाने, बुनियादी सुविधाएं विकसित करने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए तेजी से काम करना होगा। राज्य को परिवहन प्रणालियों, बुनियादी संचार और सूचना सुविधाओं के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के लिए नए उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना, औद्योगिक विकास आदि को प्राथमिकता देनी होगी ताकि छत्तीसगढ़ विकास और समृद्धि का नया मॉडल बन सके।

5. इस सभा में कई नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि चौथी छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिए कुल **90** सदस्यों में से 52 सदस्य पहली बार निर्वाचित हुए हैं। यह वास्तव में बदलती जनाकांक्षाओं का परिणाम है जो इस ओर इंगित करता है कि छत्तीसगढ़ की जनता में विकास की सुगबुगाहट है। इस कार्यक्रम में युवा विधायकों की उपस्थिति देखकर मैं आनंदित हूं। वे विधान सभा की प्रक्रियाओं इत्यादि के विषय में जानने के लिए आए हैं और मैं चाहती हूं कि वे यहां से अधिक से अधिक चीजों को सीखें और उन्हें विधायी जीवन में अपनाएं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आप सभी को विधायी प्रक्रिया संबंधी जानकारी में वृद्धि करने और आपसी अनुभव साझा करने का अवसर प्रदान करना है ताकि आप जन-प्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका अधिक प्रभावी रूप से निभा सकें।

6. विधायिका का कार्य है विधान बनाना, नीति निर्धारण करना, शासन पर विधायी निगरानी रखना तथा वित्तीय व्ययों का नियंत्रण रखना। दूसरी ओर कार्यपालिका का कार्य है विधायिका द्वारा बनाई गई विधियों और नीतियों को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करते हुए शासन चलाना। विधान बनाने का कार्य आप विधायकगण ही करते हैं। मुझे आपकी विधान सभा के विगत के कार्यनिष्पादन और कुछ उत्कृष्ट कार्यों के बारे में जानकर खुशी हुई है। भोजन का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य बनने के बाद आपके राज्य को युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण का कानूनी अधिकार प्रदान करने वाले पहले राज्य का गौरव प्राप्त है। आपकी विधान सभा ने कानून बनाकर ऐसा प्रावधान किया है जिसके तहत ऐसे प्रशिक्षण की मांग करने वाले प्रत्येक युवा को 90 दिन के भीतर राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ।

7. विधायकों को कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त हैं। यह आपको अब तक पता चल गया होगा। मेरा आपको यही सुझाव है कि आपको विधानमंडल द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों का उपयोग जनहित में करने की दिशा में निरन्तर प्रयास करना चाहिए। संसद, विधानमंडलों एवं उनके सदस्यों को विशेषाधिकार के महत्व को समझना चाहिए और उन्हें अंतरात्मा की शुचिता के साथ खुले दिल से अपनी बात सदन के समक्ष रखनी चाहिए। सदन के अंदर विचारों की अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता होती है।

8. सदन में नेता एवं नेता, विपक्ष को रचनात्मक सहयोग से काम करते हुए आम जनता के कल्याण संबंधी कार्यों को प्रमुखता से लेना चाहिए। सदन के नेता सरकार के प्रतिनिधि होते हैं तथा उन पर सभी सरकारी कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने की जिम्मेदारी के साथ-साथ उन्हें सरकार का चेहरा भी माना जाता है। उनको विपक्ष के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए सभा की कार्यवाही को कुशलतापूर्वक निपटाना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना मंतव्य निर्धारित करते हैं। व्यापक विचार विमर्श के पश्चात् ही किसी मुद्दे पर एक सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है।

9. सभा की कार्यवाही का पहला घंटा प्रश्नकाल वास्तव में विधानमंडलों के कार्यकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। शासन द्वारा किए गए कार्यों के बारे में अद्यतन जानकारी विधान मंडल में प्रस्तुत की जाती है, जो सदन की कार्यवाही के रूप में टेलीविजन एवं समाचार पत्रों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचती है। अतः, दूसरे शब्दों में प्रश्न काल, सदन के माध्यम से जनता द्वारा सरकार से प्रश्न पूछने का जरिया है। इसलिए, प्रश्न काल की महत्ता आप सबको समझनी है।

10. विधान मंडलों द्वारा वित्तीय कार्यों की स्वीकृति एवं उनकी निगरानी महत्वपूर्ण पहलू है। चूंकि विधान मंडल के पास विभिन्न प्रकार के कार्य निपटाने होते हैं, इसलिए इंग्लैंड के वेस्टमिनिस्टर मॉडल की तर्ज पर यहां भी समिति प्रणाली अपनाई गई है जिसके तहत विभिन्न मंत्रालयों के अनुदानों की मांगों की विस्तृत जांच संबंधित मंत्रालयों से संबद्ध स्थायी समिति करती है तथा उसकी रिपोर्ट सिफारिशों सहित सभा को प्रस्तुत करती है। जिससे सभा विस्तृत रूप से संबंधित वित्तीय मामलों पर प्रत्यक्ष निगरानी रख सकती है। आपसे आशा है कि आप समिति के कार्य में रुचि लेंगे एवं अपनी रुचि के अनुसार अपने पसंदीदा विभाग/विषय में अपनी दक्षता को प्रमाणित करेंगे। मैं अपने लंबे संसदीय अनुभव के आधार पर आपको यह बता सकती हूं कि ऐसा करने से आपकी अपनी एक अलग छवि बनेगी और इसका फायदा आपके विधान सभा क्षेत्र से लेकर पूरे प्रदेश को भी मिलेगा। हम जितना विषय की गंभीरता को समझते हैं, उतना ही जनता की समस्याओं के निराकरण की प्रक्रिया को गति देते हैं।

11. हम सभी जानते हैं कि विधान सभा आम जनता की समस्याओं को उठाने एवं उनकी बेहतरी के लिए कार्य करने का मंच है। यहां लोक महत्व के विषयों को विभिन्न विधायी उपकरणों के माध्यम से उठाया जा सकता है। इनमें ध्यानाकर्षण सूचना, अल्पकालिक सूचना तथा आधे घंटे की चर्चा काफी महत्वपूर्ण है। अत्यंत लोक महत्व के मुद्दे को प्रश्न काल के तुरंत बाद शून्य काल में उठाया जाता है जिस पर शासन प्रत्यक्ष रूप से संज्ञान लेती है तथा कार्यपालिका तक वह बात पहुंचती है और तदनुसार उस विषय पर समुचित कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त, लोक महत्व के मामले भी उठाए जाते हैं जिनके उत्तर संबंधित मंत्रालय को देने होते हैं।

12. अब मैं आपसे संसदीय/विधायी परम्पराओं और परिपाटियों की चर्चा करूंगी। इन्हें न केवल जानना आवश्यक है अपितु उनका पालन नितांत आवश्यक है। छत्तीसगढ़ विधान सभा कई मायने में संसदीय परिपाटियों में आदर्श है। विधान सभा में पीठासीन अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णयों को कोई भी सदस्य चुनौती नहीं दे सकता है। यदि उनको कोई आपत्ति हो तो वे इस आशय का विचार पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में जाकर प्रस्तुत कर सकते हैं। यह एक परम्परा है। साधारणतः, अध्यक्षपीठ के निर्णयों पर आक्षेप करना संसदीय परिपाटी का उल्लंघन है, इसका सदैव ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि कोई वक्ता अपनी बात रख रहा हो, तो दूसरे सदस्य को पीठासीन अधिकारी की ओर तब तक मुखातिब नहीं होना चाहिए जब तक पहला वक्ता अपनी बात समाप्त नहीं कर चुका हो। इतना ही नहीं, यदि पीठासीन अधिकारी अपने आसन पर खड़े हों, तो वक्ता सदस्य को उनके सम्मान में बैठ जाना चाहिए। यह हमारी परिपाटी है। अतः, एक विधायक को संसदीय व्यवस्था की उच्चतम परंपराओं का ध्यान रखते हुए विधान संबंधी प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। उनका आचरण एवं व्यवहार मर्यादित एवं विधानमंडल की गरिमा को बढ़ाने वाला होना चाहिए। वाद-विवाद, चर्चा अथवा सदन की कार्यवाही के दौरान सदस्यों को अशिष्ट और असंसदीय शब्दों अथवा वाक्यांशों का प्रयोग करने से बचना चाहिए।

13. अध्यक्षपीठ के सम्मान की परम्परा भी पुरानी है। मैं एक उदाहरण उद्धृत करती हूं। एक बार हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पीछे की ओर मुड़कर अपनी सीट पर बैठी श्रीमती लक्ष्मी मेनन से वार्ता कर रहे थे, तो अध्यक्ष को उनकी पीठ दिखी। तो सभापति, डॉ. एस. राधाकृष्णन ने थोड़े सख्त लहजे में कहा कि आप यह क्या कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को अपनी गलती का एहसास हुआ तथा वे अपनी सीट पर जाकर सभापति जी से खेद प्रकट किया।यह भी परिपाटी रही है कि सदस्यों को, जहां तक संभव

हो, गर्भगृह में नहीं जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो अध्यक्ष को पर्ची भेज देनी चाहिए। सदस्यों के गर्भगृह में आने से कार्यवाही में बाधा उत्पन्न होती है।

14. सदस्य जब भी कभी भाषण दें, तो उन्हें उनके आवंटित स्थान से ही बोलना चाहिए। इसका हर समय पालन किया जाना चाहिए। उन्हें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि बहुत जोर-जोर से न बोलें, मधुरता से बोलें। मैं यहां चाणक्य द्वारा कही गई एक श्लोक को उदधृत करना चाहूंगी-

" को हि भारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनाम।

को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम्।। "

अर्थात् शक्तिशाली लोगों के लिए कौन-सा कार्य दुष्कर है, कोई भी नहीं। व्यापारियों के लिए कौन सा स्थान दूर है, कोई भी नहीं। बुद्धिमानों के लिए विदेश कौन-सा है, कोई भी नहीं। मधुर बोलने वालों के लिए कौन पराया है, कोई भी नहीं।

अतः, अपनी वाणी को मधुर रखते हुए प्रभावी बनाएं ताकि श्रोताओं को सुनने में कर्णप्रिय भी लगे और वह सार्थक और प्रभावी हो। शब्दों के चयन से समृद्ध भाषणों के जादुई असर होते हैं एवं स्वाभाविक उग्रता भी जाती रहती है।

15. छत्तीसगढ़ विधान सभा में यदि कोई विधान सभा सदस्य अध्यक्ष की आसंदी के निकट गर्भगृह में आ जाते हैं और शोर-गुल करके सभा की कार्यवाही को बाधित करने का प्रयास करते हैं तो उनका स्वयमेव निलंबन तब तक के लिए हो जाता है जैसा अध्यक्ष विनिश्चय करे। यदि कोई सदस्य बार-बार ऐसा करते हैं तो उनका मामला जांच एवं अनुसंधान के लिए आचरण समिति को संदर्भित कर दिया जाता है।

16. छत्तीसगढ़ विधान सभा की आचरण समिति के पदेन अध्यक्ष, विधान सभा के अध्यक्ष होते हैं एवं 9 सदस्यों में दो नेता पक्ष एवं नेता पक्ष पदेन सदस्य होते हैं। समिति

मंत्रियों एवं सदस्यों के विपरीत आचरण संबंधी अध्यक्ष को प्राप्त शिकायतों एवं संदर्भित शिकायतों की जांच करती है एवं योग्यतानुसार समुचित कार्यवाही करती है।

17. आप केवल एक विधान सभा सदस्य ही नहीं हैं, बल्कि आप इस प्रदेश के नेतृत्वकर्ता हैं। अतः, आशा है कि आप एक बार इन प्रबोधन कार्यक्रमों में दिए गए संबोधनों को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे ताकि विधान मंडलों में जनहितकारी कार्यों के साथ अनुकरणीय एवं सकारात्मक वाद-विवाद हो सके।

18. आज हमारे समाज के सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक परिवेश मे तेजी से आ रहे बदलाव के कारण हमारे तथा सभा के समक्ष अक्सर बहुत सी चुनौतियां आ जाती हैं। प्रातिनिधिक संस्थाओं और उनके सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे इन चुनौतियों की बारीकियों को समझ कर समाज के समक्ष आ रही समस्याओं का उचित समाधान करेंगे। खनिज जैसे कोयला एवं इस्पात से सम्पन्न इस प्रदेश की 50 प्रतिशत से ज्यादा आदिवासी एवं अनुसूचित जाति की आबादी है और इस प्रदेश में विकास की गति को तेज करने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। उत्कृष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसकी प्रशंसा पूरे देश में हुई है, की सफलता को हमें और दूसरे क्षेत्रों में भी दोहराना है। यहां संसाधन असीम हैं, इसलिए आपको उनमें संभावनाएं तलाशनी है ताकि आप इस प्रदेश को अग्रणी प्रदेश की पंक्ति में खड़ा करने के लिए प्रयास करें।

19. इस संदर्भ में, मैं एक अवसर पर गांधी जी द्वारा कहे गए शब्दों का उल्लेख करना चाहती हूंः-

> **"यह सोचना एक भ्रम है कि विधायक मतदाताओं के मार्गदर्शक हैं। मतदाता, अपना मार्गदर्शन कराने के लिए प्रतिनिधियों को विधानसभा में नहीं भेजते। इसके विपरीत उन्हें जनता की इच्छाओं को ईमानदारी से पूरा करने के लिए वहां भेजा**

जाता है। अतः, विधायक की बजाय जनता मार्गदर्शक होती है। विधायक सेवक होते हैं और जनता स्वामी होती है ।"

20. मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं कि भारत एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है और देश विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। इस देश के विकास में भारत के राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इसे वास्तविक रूप से सहकारी संघीय पद्धति बनाते हुए केन्द्र राज्य संबंधों को पुनः परिभाषित किया है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को चाहिए कि वे देश और लोगों के विकास हेतु राज्य विधानमंडलों के वित्त पोषण के लिए मिलकर कार्य करें। इस कार्य में, आप पर भारी जिम्मेदारियां हैं ।

21. मैं एक बार फिर आप सभी को राज्य विधान सभा के लिए निर्वाचित होने पर बधाई देती हूं और मेरी कामना है कि लोगों की सेवा के लिए आपके सभी प्रयास सफल हों। मैं छत्तीसगढ़ विधान सभा के माननीय अध्यक्ष की आभारी हूं कि उन्होंने मुझे आज आपके साथ अपने विचार साझा करने का अवसर प्रदान किया।

22. इस प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए मैं विधानसभा सचिवालय को भी बधाई देती हूं ।

धन्यवाद ।